न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 04/2015

1. जसवंत सिंह पुत्र महल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ओ तहसील श्रीकरणपुर प्रधान जनता ट्रक यूनियन श्री करणपुर।

--अपीलांट--

बनाम

1. ग्राम पंचायत 10 ओ तहसील श्रीकरणपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ तहसील श्रीकरणपुर।
2. सरजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह निवासी 13 ओ तहसील श्रीकरणुपर।
3. शेरसिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी 13 ओ तहसील श्रीकरणुपर।
4. रणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी 13 ओ तहसील श्रीकरणुपर।
5. वीरपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह निवासी 13 ओ तहसील श्रीकरणुपर।

--रेस्पोर्डेट--

1. श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री जसविन्द्र सिंह चिम्मा अधिवक्ता रेस्पोर्डेट संख्या 2 ता 5 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अपील इंतकाल (इंतकाल संख्या 384 दिनांक 28.05.1998 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला)

-: निर्णय :- दिनांकः- 28-08-2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किअपीलांट जनता ट्रक यूनियन के प्रधान पद पर नियुक्त है, चक 13 ओ के मु0 न0 49 के किला न0 8 ता 10 की 2 बीघा 15 बिस्वा गुरदेव सिंह पुत्र करतार सिंह के द्वारा विक्रय करने का प्रस्ताव करने पर तथा यूनियन को कार्यालय एवं ट्रको को खडा करने के लिए जगह की आवश्यकता होने से सन् 1991 मे गुरदेव सिंह से क्रय की गई तथा कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है तथा अपीलांट द्वारा उपरोक्त रकबा पर एक सुन्दर इमारत बनायी हुई है। जहां से लगातार करीब 23-24 वर्षो से ट्रको को ठहराने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार अपीलांट उपरोक्त रकबा का खरीददार मालिक व हकदार होने से उपयोग करता आ रहा है। अपीलांट को रेस्पोडेंट सख्या 2 ता 5 द्वारा बेदखल करने की कोशिश कर दिनांक 28.09.2015 को यह जानकारी हुई कि इस रकबा का इंतकाल दिनांक 28.05.1998 को किया जा चुका है जिस पर इंतकाल की नकल प्राप्त कर अपील निम्नाधारो पर पेश की जा रही है-

1. यह इंतकाल गलत एवं कानून के विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है।
2. इस इंतकाल को दर्ज करने के पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया और न ही सुना गया, जबकि अपीलांट का कब्जा इस रकबा पर बतौर खरीददार 1991-92 से चला आ रहा है। अपीलांट इसमे प्रभावित पक्षकार था।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 को इस बात की जानकारी थी कि मु0 न0 49 के किला न0 8 ता 10 पर अपीलांट का कब्जा है परंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जानबूझ कर मिलीभगत करके रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 5 के नाम इंतकाल किया जो गलत है।
4. ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई पंचायत की मीटिंग की गई और न ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया और न ही कोई कमेटी गठित करके कब्जा की रिपोर्ट मंगाई गई और न ही कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई।
5. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स की धारा 119 से 126 के आदेशात्मक प्रावधानो की पालना की गई क्योकि कब्जा के अभाव मे कानून इंतकाल नही किया जा सकता।
6. अधीनस्थ न्यायायल द्वारा कोई आपति सूचना प्रकाशित नही की गई जबकि ऐसा करना आवश्यक था।
7. रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 5 ने लालचवश मिलीभगत करके इंतकाल करवाया है जबकि उनको भली भांति जानकारी थी कि गुरदेव सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल मे विक्रय करके कब्जा अपीलांट को दे रखा था।

रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 द्वारा दिनांक 28.09.2015 को कब्जा करने की कोशिश करने पर अपीलांट को सर्वप्रथम इस इंतकाल की जानकारी हुई तथा नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील अन्दरमियाद पेश की जा रही है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र साथ पेश किया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल निरस्त करने का आदेश दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

जसवंत सिंह बनाम ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला
अपील इंतकाल प्रकरण संख्या 4/2015

प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एंव रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेंट की तलबी जरिए अखबार प्रकाशन से करवाई गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 सरंपच ग्राम पंचायत की ओर से किसी के उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। रेस्पोडेंट सख्या 2,3,4,5 की ओर से श्री जे एस चिम्मा अधिवक्ता उपस्थित आए एवं आपत्तियां पेश की। प्रस्तुत आपतियो के अनुसार वर्ष 1991 मे गुरदेव सिंह के द्वारा चक 13 ओ के मु0 न0 49 के किला न0 8 ता 10 की 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान जनता ट्रक यूनियन को नही किया गया और न ही कब्जा अपीलांट को दिया गया। प्रश्नगत भूमि के रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 खातेदार मालिक है। इंतकाल संख्या 384 उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत रेस्पोडेंट के नाम विधि अनुसार सही दर्ज हुआ है। इंतकाल विधि अनुसार नियमो की पालना करने के बाद दर्ज किया है। अपीलांट को कोई हक हासिल नही थे। इसलिए इंतकाल की कार्यवाही के समय अपीलांट को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नही थी। अपीलांट प्रभावी पक्षकार नही है, इसलिए इंतकाल की कार्यवाही मे इसे सुना जाना आवश्यक नही था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का विधिक कब्जा नही है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 की खातेदारी भूमि है जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे हो चुका है। पंचायत द्वारा नियमो की पालना करने के बाद ही इंतकाल दर्ज किया था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा था तो कानूनन अपीलांट को इसकी सूचना पटवारी व तहसीलदार को दी जानी जरूरी थी जो अपीलांट ने ऐसा कुछ नही किया। इंतकाल की कार्यवाही के समय प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही था। गुरदेव सिंह ने प्रश्नगत भूमि का बैचान अपने जीवनकाल मे नही किया और न ही कब्जा अपीलांट को दिया। इंतकाल विधि अनुसार रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हुआ है। अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कारण खारिज योग्य है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि होने के कारण उन्हे पूरा हक हासिल हैं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो स्वीकार योग्य नही हैं। अतः आपतियां पेश कर निवेदन है कि अपील आधारहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज की जावे।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा इकरारनामे के आधार पर खरीदी गई है। खरीद की दिनांक से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अपील स्वीकार की जाकर विरास्तन इंतकाल निरस्त किया जावे। वकील रेस्पोडेंट के द्वारा अपनी बहस मे आपत्तियो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व न्यायालय को इस अपील को सुनने का अधिकार नही है। अपीलांट को इकरारनामा के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इंतकाल दर्ज करते समय कब्जा देखने का कोई प्रावधान नही है। अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट के द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र के साथ गुरदेव सिंह के द्वारा किये गये इकरारनामा की छायाप्रति पेश की गई है। इकरारनामा के आधार पर अनुतोष चाहा गया है। इकरारनामा के संबंध मे किसी प्रकरण को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। अपील प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर अपीलांट का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2017. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{रीना छिम्पा आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner